

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

—:: मंत्रालय ::—

महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

क्रमांक 153 / F-2015-04-02007 / ब-4 / चार,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 29/04/2019

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में ।

- संदर्भ :-
1. वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 170 / बी / चार, दिनांक 2.5.2014
(वित्त निर्देश 27 / 2014)
 2. वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 202 / ब-4 / चार, दिनांक 8.5.2014
(वित्त निर्देश 29 / 2014)
 3. वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 118 / ब-4 / चार, दिनांक 2.5.2015
(वित्त निर्देश 12 / 2015)
 4. वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 99 / F-2015-04-02007 / ब-4 / चार, दिनांक
2.5.2016 (वित्त निर्देश 10 / 2016)
 5. वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 161 / F-2015-04-02007 / ब-4 / चार,
दिनांक 02.05.2017 (वित्त निर्देश 16 / 2017)
 6. वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 179 / F-2015-04-02007 / ब-4 / चार,
दिनांक 02.05.2018 (वित्त निर्देश 25 / 2018)

—000—

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापनों द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

2- राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उक्त निर्देश आगामी एक वर्ष तक के लिए और प्रभावशील रहेंगे।

3- ऐसी केन्द्रीय योजनाएं, जिनके अंतर्गत पद संरचना स्वीकृत है तथा जिन्हें केन्द्रीय बजट 2019-20 में समाप्त कर दिया गया है, उन योजनाओं में रिक्त पदों पर यदि वित्त विभाग द्वारा भर्ती की अनुमति पूर्व में दी गई है किन्तु अभी तक भर्ती नहीं की



गई है, तो ऐसे रिक्त पदों को भरने की अनुमति पुनः वित्त विभाग से प्राप्त की जाए। ऐसे प्रस्तावों को वित्त विभाग में भेजते समय इन पदों की पूर्ति पर आने वाले वार्षिक वित्तीय भार तथा पदों की पूर्ति की आवश्यकता का औचित्य दर्शाया जाए।

4- विभागों में स्वीकृत सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति करते समय विभाग यह सुनिश्चित करें कि ऐसे पद जिनमें विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य हो, उन प्रकरणों में भरे जाने वाले पदों की संख्या राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण क्षमता के अनुरूप ही हो।

5- यह निर्देश राज्य के शासकीय कार्यालयों के साथ-साथ सभी निगम / मंडल / आयोग / प्राधिकरण / विश्वविद्यालय / अनुदान प्राप्त-स्वशासी संस्थाओं आदि के लिए भी लागू होंगे।

6- यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(सतीश पाण्डेय)

अपर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

पृष्ठां. क्रमांक 154 / F-2015-04-02007 / ब-4 / चार, अटल नगर, दिनांक 29/04/2019
प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, अटल नगर, जिला रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़,
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय,
9. अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, अटल नगर, जिला रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर -19, अटल नगर, जिला रायपुर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त अपर सचिव/संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,

15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, अटल नगर, जिला रायपुर
16. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, अटल नगर
- को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु



29.04.19

(राघवेन्द्र कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग